न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 10/2013 जिला अलवर ।

इन्दर सिंह पुत्र श्री भोलू, जाति यादव, निवासी ग्राम आकोली, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. चुन्नी लाल
2. लालमन
3. रोहताश
4. राजाराम
5. रामप्रसाद पुत्र रामपाल (वारिसान मृतक रामपत)
6. मुखराम
7. भूपसिंह
8. रामौतार पुत्रान हरदयाल
9. मु.सरबती बेवाह हरदयाल, जाति अहीर, निवासी आकोली, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।
10. बिमला पत्नी महावीर, निवासी शेरपुर
11. सरवन पत्नी सुरेश कुमार, निवासी ग्राम सहरावण, तहसील व जिला गुड़गांवा हरियाणा।

रेस्पोडेन्ट्स

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर दिनांक 17.2.2006

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री जर्नादन शर्मा
2. वकील रेस्पोंडन्ट श्री मुनीराम यादव

निर्णय

दिनांक – 23.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 17.2.2006 के विरूद्ध दिनांक 31.3.2006 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है –

यह कि ग्राम आकोली, तहसील कोटकासिम जिला अलवर के आराजी का खातेदार किशोर पुत्र भोलू था । खातेदार किशोर के लावल्द फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 304 दिनांक 5.7.2001 को ग्राम पंचायत उजौली, पं.स. कोटकासिम द्वारा रामपत पुत्र भौलू, मुखराम, भूप सिंह, रामौतार पुत्रान व सरबती बेवा व बिमला, सरवन पुत्रीयान हरदयाल के नाम तस्दीक किया गया ।

उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर इन्दर सिंह पुत्र भोलू द्वारा अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम, जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत की जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2006 से नामांतरकरण संख्या 304 वाके ग्राम आकोली, ग्राम पंचायत द्वारा विधिपूर्वक कोरम में बाद जॉच खोला जाकर स्वीकार किये जाने को सही माना है । अपीलान्ट इन्दर सिंह जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा मुसम्मात चन्दो बेवा नाथिया के हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होने तथा वह अपने पिता भोलू की सम्पत्ति में व उसके पुत्र मृतक किशोर की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रखने के कारण अपील अपीलान्ट अस्वीकार की है ।

उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.2.2006 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किया जाकर किशोर पुत्र भोलू की भूमि में 1/3 हिस्से का नामांतरकरण उसके नाम तस्दीक करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का मूल खातेदार भोलू था जिसके चार लड़के रामपत, हरदयाल, इन्दर सिंह व किशोर थे । जिनमें से किशोर लावल्द फौत हुआ और उसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण उसके भाई हरदयाल पुत्र भोलू के पुत्र मुखराम भूपसिंह, रामौतार व बेवा सरबती तथा पुत्रियां बिमला व सरवन के नाम तस्दीक कर दिया । जबकि विवादित आराजी में भोलू के सभी पुत्र 1/3–1/3 के हकदार थे । अधीनस्थ न्यायालय ने इन्दरसिंह पुत्र भोलू को चन्दो बेवा नाथिया के गोद जाना मानकर भूल की है । जबकि गोदनामा न्यायालय मजिस्ट्रेट तिजारा द्वारा पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि अपीलान्ट को चन्दो बेवा नाथिया की भूमि गोदनामे के आधार पर प्राप्त नहीं हुई बल्कि कब्जे के आधार पर अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार दर्ज किया है । अपीलान्ट अपने पिता भोलू का वारिस होने के कारण अपने भाई किशोर की आराजी में हिस्सा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। अपीलांट को न तो पैतृक विरासत के आधार पर आराजी में हिस्सा प्राप्त हुआ है तथा न ही गोदनामे के आधार पर आराजी प्राप्त हुई है । इस प्रकार अपीलांट के हितों पर कुठाराघात हुआ है । उनका कहना था कि ग्राम पंचायत द्वारा किशोर पुत्र भोलू के विरासत का इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व विधिक वारिसान की जॉच नहीं की गई और न ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश से अपीलांट

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जाने तथा किशोर की भूमि में 1/3 हिस्से का नामांतरकरण अपीलार्थी के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार किशोर पुत्र भोलू के लावल्द फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण ग्राम पंचायत द्वारा किशोर के भाई रामपत, हरदयाल के पुत्रों, बेवा एवं पुत्रियों के नाम तस्दीक किया है जो उचित एवं विधिसम्मत है । उनका कहना था कि अपीलांट इन्दर सिंह पुत्र भोलू 8 वर्ष की उम्र में ही चन्दो बेवा नाथिया के मुताबिक रीति–रिवाज गोद चला गया था तथा मुताबिक रजिस्टर्ड गोदनामा अपीलांट मुसम्मात चन्दो बेवा नाथिया की सम्पत्ति का हकदार हो गया था । ऐसी स्थिति में अपीलांट का अपने पिता भोलू की सम्पत्ति में कानूनन कोई हक नहीं बनता है । उनका कहना था कि राजस्व अभिलेख में अपीलांट के नाम के आगे भोलू नाम लिखने मात्र से भोलू की सम्पत्ति में कोई हक–हकूक प्राप्त नहीं हो जाते। उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलान्ट को चन्दो बेवा नाथिया के गोद चले जाने एवं रजिस्टर्ड गोदनामा होने तथा चन्दो बेवा नाथिया के हिस्से की भूमि पर अपीलांट के काबिज काश्त होने व अपने पिता भोलू की सम्पत्ति में एवं उसके पुत्र मृतक किशोर की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रखने के आधार पर अपीलाधीन आदेश से अपीलांट की अपील खारिज की है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया गया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । प्रकरण में पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद किशोर पुत्र भोलू की विरासत के सम्बन्ध में है । खातेदार किशोर पुत्र भोलू के लावल्द फौत होने पर उसके विरासत का नामांतरकरण संख्या 304 ग्राम पंचायत उजौली द्वारा दिनांक 5.7.2001 को किशोर के भाई रामपत व हरदयाल के पुत्र मुखराम, भूपसिंह, रामौतार, बेवा सरबती, पुत्रियां– बिमला व सरवन के नाम तस्दीक किया है । दूसरी ओर खातेदार मृतक किशोर के भाई इन्दर सिंह के द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में अपील की थी जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.2.2006 द्वारा इन्दर सिंह जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा चन्दो बेवा नाथिया के हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होने तथा वह अपील पिता भोलू की सम्पत्ति में व उसके पुत्र मृतक किशोर की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रखने के कारण अपील खारिज की है । हम समझते हैं कि अपीलांट इन्दर सिंह पुत्र भोलू रजिस्टर्ड गोदनामे से चन्दो बेवा नाथिया के गोद चला गया था । ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपीलान्ट चन्दो बेवा नाथिया के गोद जाने के पश्चात् उसको उसके पिता भोलू एवं मृतक किशोर पुत्र भोलू की भूमि में कोई हक व हिस्सा विधिक रूप से प्राप्त नहीं हो सकता । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने भी उपरोक्तानुसार अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन

आदेश से खारिज की है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम , जिला अलवर दिनांक 17.2.2006 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर